न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 17/2019

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

श्री इखलाक पुत्र श्री मौ0 इसाक
कायड विश्राम स्थली, अजमेर
निवासी– गलिया मौहल्ला, उत्तर थाना, फिरोजाबाद (उत्तरप्रदेश)

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती भावना दयाल प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक **06.11.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.03.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी द्वारा मय संयुक्त जांच दल के अप्रार्थी के कायड विश्राम स्थली स्थित स्टॉल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर लगाकर भोजन बनाकर विक्रय किया जा रहा था। अप्रार्थी को, मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग करते पाये जाने पर मौके से घरेलू गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.-GAS	TYPE
1	581371	B P	15.6	26.7	11.1	Domestic

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने निवास का पूर्ण पता आदि बाबत होने से इन्कार किया गया। चूकि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर कुश गैस एजेन्सी के कार्मिक श्री रामसिंह पुत्र श्री शिवसिंह निवासी– शाही ज्योति कॉलोनी कायड रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिली प्राप्त नहीं हुआ। अप्रार्थी के फिरोजाबाद उत्तरप्रदेश के पत्ते पर तामिली हेतु सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस भी प्रेषित किया

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

गया, जो बाद तामिली प्राप्त नहीं हुए। उपस्थित पैरोकार सरकार से अप्रार्थी के पूर्ण पते की जानकारी चाही गई। इस पर उपस्थित पैरोकार सरकार ने असमर्थता व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि दरगाह मेला दौरान अप्रार्थी द्वारा अस्थाई रूप से कायड विश्राम स्थली में स्टॉल लगाई गई थी, जो मेले पश्चात हटा ली गई। वक्त जांच भी अप्रार्थी द्वारा निवास स्थान की सम्पूर्ण जानकारी/पहचान दस्तावेज दिये जाने से इन्कार किया गया। अतः प्रकरण का एक पक्षीय निस्तारण किया जावें। सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 23.02.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा कायड विश्राम स्थली स्थित अपने अस्थाई व्यवसाय स्थल (स्टाल) पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 12..03. 2019 के खण्डन बाबत अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के तथ्य भी प्रकट नहीं है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया उक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर * अजमेर *

V.M. Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner